राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 18 DEC 2025

सं. एफ. 4(4)वित्त/कर/2025-121:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 4(4)वित्त/कर/2025-121 दिनांक 08.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : दिसम्बर 08, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प. 4(2)वित्त/कर/2024-68 दिनांक 08.02.2024 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. शीर्ष अनुच्छेद-4 के अधीन, स्तंभ संख्यांक 3 में,-

   (i) क्रम संख्यांक 3 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

   (ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

   (iii) क्रम संख्यांक 5 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

2. विद्यमान अनुच्छेद-5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

अनुच्छेद-5 उपस्थिति और कमीशन के लिए फीस		
1.	धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिए या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारी करने के लिए फीस,-	
	(क) यदि व्यक्ति जेल में है	50 रुपये
	(ख) यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ है	100 रुपये
	(ग) अन्य मामलों में (उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये),-	
	(i) जहां निवास स्थान उप-रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित है	5,000 रुपये
	(ii) जहां निवास स्थान राजस्थान राज्य में स्थित है किन्तु उप-रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र से बाहर है	10,000 रुपये
	(iii) जहां निवास स्थान भारत के भीतर राजस्थान राज्य से बाहर स्थित है	20,000 रुपये
टिप्पणः इस अनुच्छेद में उल्लिखित फीस साधारण रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त प्रभारित की जायेगी।		

"

3. शीर्ष अनुच्छेद-7 के अधीन, क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में,-

(i) स्तंभ 2 के खंड (क) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) स्तंभ 2 के खंड (ख) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) स्तंभ 2 के खंड (ग) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) स्तंभ 2 के खंड (घ) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "300 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "500 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.4 (4) वित्त/कर/2025-121]

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(नथमल डिडेल)

संयुक्त शासन सचिव''

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव